प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **65/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Pradeep Tripathi Add: 04, Govind Nagar, Hiran Magari, Sec- 13, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329127583019578 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7899438828 दिनांक 24.04.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/65/25/412–13 दिनांक 24.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ./2005/2025/647 दिनांक 19.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील संख्या 65/25 द्वारा प्रदीप त्रिपाठी प्रकरण से संबंधित समस्त वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड प्रार्थी को पत्रांक 721 दिनांक 19.03.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। यदि प्रार्थी वांछित सूचना से संतुष्ट नहीं है तो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में धारा 177 के तहत विचाराधीन होने से सम्पूर्ण पत्रावली न्यायालय से नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। अतः जवाब पत्रावली पर लिया जाकर प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने जवाब में वर्णत किया है कि अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 504 दिनांक 19.03.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है परन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2025 को सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपीलार्थी को सूचना किस तरह उपलब्ध करवा दी गई, स्पष्ट नहीं है। ना ही प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब के साथ अपीलार्थी को भिजवाये गये विनिश्चय की प्रति संलग्न की गई है जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्यर्थी द्वारा अपलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

गई सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में उपलब्ध कराये एवं की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करे एवं अपील में विधिवत रूप से जवाब प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/5/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर